न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 557 सन 2019

अनवान :–

1. सावित्री पुत्री किशनाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. समेस्ता पुत्री किशनाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. किशनाराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहरसिह पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
3. हवासिह पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23.3.20

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ललानावास श्योपुरा के खसरा न0 2/1.0710 ,134/3.4400 ,152/6.8450 ,कुल 14.3650हैक भूमि वादीयान के दादा रिछपाल पुत्र भोमराम के नाम से दर्ज थी रिछपाल की मृत्यू होने के बाद उनकी भूमि के चार पुत्रगणों फुलाराम , किशनाराम , मोहरसिह, व श्रीचन्द को बतौर कर्ता हिन्दु खातनदान भूमि औद हुई

अर्थात रोही मौजा ललानावास श्योपुरा के खाता संख्या 82/136 की कुल 14.3650हैक मे से 1/4 हिस्सा भूमि आई अर्थात वादीयान व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के पिता के नाम 1/4 हिस्सा भूमि आई जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 का बराबर का हक हिस्सा था।

वादीयान के पिता ने बिना अधिकार मिली भगत कर समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ मिलकर वादीयान को उनके हकों से महरूम रखने के लिये दिनांक 21.03.2018 को दस्तवरदारी कर दी।

वादीयान ने अपने हक व हिस्से से वंचित होने के कारण दस्तबरदारी दिनांक 21.03.2018 को अवैध व शुन्य करवाने का वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 के समक्ष पेश किया जो दिनांक 13.07.2019 को डिक्री किया जाकर दस्तबरदारी दिनांक 21.03.2018 को राजीनामा के आधार पर शुन्य धोषित कर दी गई इस प्रकार वादीयान के पिता द्वारा मोहरसिह के पक्ष में की गई दस्तवरदारी निरस्त हो चुकी है इसलिये वादीयान अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने की अधिकारी है।

अतः वादीयान का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा ललानावास श्योपुरा के खाता संख्या 82/138 की कुल 14.3650हैक भूमि में वादीयान वहिव 2/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 व4 वहिव 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता रिछपाल पुत्र भोमाराम के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का बराबर का हक हिस्सा है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन मे ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जवाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ललानावास श्योपुरा के खसरा न0 2/1.0710 ,134/3. 4400 ,152/6.8450 ,कुल 14.3650हैक्ट भूमि वादीयान के दादा रिछपाल पुत्र भोमराम के नाम से दर्ज थी रिछपाल की मृत्यू होने के बाद उनकी भूमि के चार पुत्रगणों फुलाराम , किशनाराम , मोहरसिंह, व श्रीचन्द को बतौर कर्ता हिन्दु खातनदान भूमि औद हुई

अर्थात रोही मौजा ललानावास श्योपुरा के खाता संख्या 82/136 की कुल 14. 3650हैक्ट मे से 1/4 हिस्सा भूमि आई अर्थात वादीयान व प्रतिवादी संख्या 3 ,4 के पिता के नाम 1/4 हिस्सा भूमि आई जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 ,4 का बराबर का हक हिस्सा था।

वादीयान के पिता ने बिना अधिकार मिली भगत कर समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के साथ मिलकर वादीयान को उनके हकों से महरूम रखने के लिये दिनांक 21.03.2018 को दस्तबरदारी कर दी।

वादीयान ने अपने हक व हिस्से से वंचित होने के कारण दस्तबरदारी दिनांक 21.03. 2018 को अवैध व शुन्य करवाने का वाद माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 1 के समक्ष पेश किया जो दिनांक 13.07.2019 को डिक्री किया जाकर दस्तबरदारी दिनांक 21.03.2018 को राजीनामा के आधार पर शुन्य घोषित कर दी गई इस प्रकार वादीयान के पिता द्वारा मोहरसिंह के पक्ष में की गई दस्तबरदारी निरस्त हो चुकी है इसलिये वादीयान अपने हक हिस्सा की भूमि अपने नाम से दर्ज करवाने की अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ललानावास श्योपुरा के खाता संख्या 82/136 की कुल 14.3650हैक्ट भूमि पूर्व में रिछपाल पुत्र भोमाराम के नाम से दर्ज थी रिछपाल के देहान्त होने के बाद विरासतन से उनके चारो पुत्रों के नाम से बहिब दर्ज हुई अर्थात प्रत्येक के 1/4 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई वादीयान के पिता किशनाराम ने अपने हक हिस्सा की भूमि की दस्तबरदारी अपने भाई मोहरसिंह के पक्ष में दिनांक 21.03.2018 को करवाई गई थी जिसको निरस्त करवाने के लिये वादीयान ने माननीय अपर जिला न्यायधीश नोहर के समक्ष वाद पेश

(हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

किया गया माननीय न्यायालय ने दिनांक 13.07.2019 को दस्तबरदारी दिनांक 21.03.2018 जो मोहरसिह के पक्ष में की गई थी को शुन्य धोषित कर दिया गया है अर्थात दस्तबरदारी दिनांक 21.03.2018 के आधार पर यदि राजस्व रिकार्ड में अंकन किया गया तो उसे निरस्त किया जाना है।

वादीयान ने अपने हक हिससा की भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अनुतोष चाहा है वादीयान के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल दावा पेश कर निवेदन किया जा चुका है कि वादीयान के हक हिससा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार को एतराज नही है ।

वादीयान के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 82/136 की कुल 14.3650हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादियान बहिब 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिसस प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब 2/5 हिसस के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.3.20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. सावित्री पुत्री किशनाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. समेस्ता पुत्री किशनाराम जाति जाट साकिन रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. किशनाराम पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मोहरसिह पुत्र रिछपाल जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
3. हवासिह पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र किशनाराम जाति जाट निवासी रातुसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 557 सन 2019 निर्णय दिनांक– 23.3.20

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास श्योपुरा के खाता संख्या 82/136 की कुल 14.3650हैक भूमि में सयुक्त तौर से वादियान बहिब 2/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/4 हिसस प्रतिवादी संख्या 3 ता 4 बहिब 2/5 हिसस के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.3.20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner